

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 15/2017

विषय : डी.एल.वाई. टैक्सी किराए पर लेने के लिए दरों में संशोधन।

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने डीएलवाई टैक्सी किराए पर लेने के लिए दरों/सीमा में संशोधन किया है :-

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	करों को छोड़कर	टिप्पणी
1.	एस. एक्स. 4(ए/सी) अथवा समान ए/सी वाहन	250 घंटे एवं 2500 कि.मी. (25 दिन)	39,400/- रु. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में 8700/- रु. और इससे अधिक के ग्रेड वेतन अथवा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार तदनु रूप वेतन मैट्रिक्स वाले अधिकारियों के लिए
2.	इंडिगो (ए/सी) अथवा समान ए/सी वाहन	250 घंटे एवं 2500 कि.मी. (25 दिन)	34,900/- रु. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में 6600/- रु. से अधिक और 8700/- रु. से कम ग्रेड वेतन अथवा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार तदनु रूप वेतन मैट्रिक्स वाले अधिकारियों के लिए
3.	इंडिका (ए/सी)	250 घंटे एवं	28,400/- रु. छठे केन्द्रीय

अथवा समान ए/सी वाहन	2500 कि.मी. (25 दिन)	वेतन आयोग में 6600/- रु. के ग्रेड वेतन अथवा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार तदनुरूप वेतन मैट्रिक्स वाले अधिकारियों के लिए
---------------------	----------------------	--

2. उक्त दरों के अतिरिक्त जी.एस.टी. का भुगतान किया जाएगा। किसी अन्य कर/प्रभार का भुगतान टैक्सी प्रदाता द्वारा किया जाएगा।
3. वरीयता की दृष्टि से टैक्सी 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और जी.एस.टी. नम्बर वाली एजेंसी से ली जानी चाहिए।
4. ये आदेश दिनांक 01/08/2017 से प्रभावी होंगे।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफ.ई. 15(8)/2010/डीडीए/362

दिनांक : 01/08/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव।
2. सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार।
3. सभी आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव/मुख्य वास्तुकार/आयुक्त (खेल)।
4. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता (मुख्यालय)।
5. निदेशक, भूमि लागत निर्धारण/लेखा परीक्षा/वित्त/कार्य।
6. निदेशक, कार्मिक-I एवं II/सतर्कता/नजारत उद्यान (दक्षिण पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी)।
7. सभी क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी/उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)- I/उप वित्त सलाहकार (आवास)- I।
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक)/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (खेल)।
9. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)